भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2665 का उत्तर

टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश

2665. श्री अनन्त नायक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेल टिकटों की अग्रिम बुकिंग का समय कम कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रेल मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और
(ङ) सरकार द्वारा रेल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने और अपनी रेल यात्रा की योजना पहले से बनाने के इच्छुक यात्रियों की सुविधा के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): 01.11.2024 से, अधिकांश मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) को यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन तक घटा दिया गया है। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू थी। तदनुसार, दिनांक 16.10.2024 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 10/2024 के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं।

SK

यह परिवर्तन बुकिंग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रद्दकरण को कम करने के लिए भी किया गया है।

(ङ): असामाजिक तत्वों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय रेल ने कई निवारक और दंडात्मक उपाय शुरू किए हैं। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

I. **अनधिकृत टिकटिंग गतिविधियों को रोकने के लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे यात्री आरक्षण प्रणाली केंद्रों, बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफार्मों, गाड़ियों आदि में नियमित जांच की जाती है। त्योहारों, छुट्टियों आदि जैसे व्यस्त समय के दौरान भी ऐसी जांच तेज कर दी जाती है।**

II. **आम जनता को जन उद्घोषणा प्रणाली और मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्वों से टिकट न खरीदने और इन स्रोतों से टिकट खरीदने के परिणामों के बारे में भी जागरुक किया जाता है।**

III. **रेल सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा भारतीय रेल में दलालों के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जाते हैं और रेल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। व्यापक प्रभाव वाले और अन्य आपराधिक तत्वों से जुड़े मामलों का पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से निपटान किया जाता है।**

IV. **अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों/दलालों की गतिविधियों को रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल के साइबर सेलों के माध्यम से नियमित साइबर गश्त की जाती है और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।**

*****

SK